न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाथूलाल V/S भूमि धारी तहसीलदार प्रा० पत्र पत्थरगढ़ी 35 / 2020	
15.12.2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5570, 5593, 5594 कुल किता 3 कुल रकबा 4.63 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 5588 कुल किता 1 कुल रकबा 0.76 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है; प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 20.09.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का रींगस के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। मौके पर वर्तमान समय में भूमियॉ खाली पडी है। मौके पर कोई फसल काश्त नहीं की हुई है तथा ना ही मौके पर कोई सीमा विवाद नहीं है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.09.2017 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का [illegible] अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित [illegible] पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में [illegible] कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.12.22 11:18:51 IST
Reason: SelfAttested

नाथुलाल बनाम भूमिधारी तहसील सदार

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
प्रा० पत्र पत्थरगढ़ी मु.न.-35/20	

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का रींगस द्वारा दिनांक 20.09.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 5570, 5593, 5594 कुल किता 3 कुल रकबा 4.63 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 5588 कुल किता 1 कुल रकबा 0.76 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का रींगस द्वारा दिनांक 20.09.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.12.22 11:18:51 IST
Reason: SelfAttested